सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: **NCST/DEV-7692/MP/988/2026-RO-BH/RU-I** | **दिनांक: 09.07.2026**

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-भोपाल,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmbhopal@nic.in

पुलिस आयुक्त, भोपाल,
कार्यालय पुलिस आयुक्त,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: pc.bhopal@mppolice.gov.in

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्य प्रदेश शासन,
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन,
पंजीयन भवन, 35-ए, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462011
ई-मेल: igrebpl@nic.in

आयुक्त,
नगर पालिका निगम, भोपाल
हर्षवर्धन परिसर, माता मंदिर,
भोपाल, मध्य प्रदेश
ई-मेल: commoffice@bmconline.gov.in

विषय: अनावेदक द्वारा आवेदक की पैतृक भूमि पर षड़यंत्र और फर्जी दस्तावेज़ बनाकर कब्जा करने के संबंध में श्री रमेश भिलाला, निवासी-ई- 08, अरेरा कालोनी, मकान नं. 380, चाणक्य अपार्टमेंट, बावडिया कलां, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश का दिनांक 08.05.2026 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 12.05.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 22.07.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

श्री रमेश भिलाला,
निवासी-ई- 08, अरेरा कालोनी, मकान नं. 380,
चाणक्य अपार्टमेंट, बावडिया कलां,
जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।